पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

31 MAR 2001 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—२-कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (इ०न० ए०) 99/2--10,000--4-9-1996--[illegible]।

टर्न-68/राजेश/31.3.2001

श्री शकील अहमद खाँ (मंत्री) क्रमश:- महोदय, इसके बाद ही झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड ने एक आदेश निकाला, जिसके चलते भ्रम फैली। महोदय, दो स्तरों पर इसकी बैठक हो चुकी है। हमलोगों ने अनुरोध किया है कि जो माइनूट्स दिनांक 5.3.2001 का है, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से हमारे आफिसर गये थे, झारखंड सरकार की तरफ से जो गये थे, उसका माईनूट्स भी हमारे पास है। महोदय, भारत सरकार ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया और उसमें सारी स्थिति को साफ कर दिया गया, जो भ्रम की स्थिति फैली हुई थी। हुजूर ने आदेश दिया था, उसी आदेश के आधार पर, यह अपना वक्तव्य है, जिसको मैंने सदन में प्रचारित किया है, अगर आप इसे सदन के पटल पर रखने का आदेश देंगे तो इसे मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री, बिहार की जनता के हित में बिहार सरकार सक्षम कार्रवाई कर रही है, करती रहे, यही यहाँ की जनता चाहती है।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001

अध्यक्ष:- प्रभारी मंत्री।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष:- प्रश्न यह है कि:-

"बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001" को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

इसे पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष:- यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001" पर विचार हो।

अध्यक्ष:- इसपर मा०सदस्य श्री उमाधर प्रसाद सिंह जी का जनमत जानने का प्रस्ताव आया है। मा०सदस्य श्री उमाधर प्रसाद सिंह जी।

टर्न-68/राजेश/31.3.2001

श्री उमाधर प्रसाद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:- "बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001" पर जनमत जानने के लिए 21 अगस्त, 2001 तक परिचारित किया जाय। महोदय, जितना जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया है, इस विधेयक को न तो देखने का मौका मिला है और न समझने का ही मौका मिला है। महोदय, हम जन-प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि के नाते, हमें इसको जानने, समझने का हक है।

(व्यवधान)

वैसे आपलोगों को जो करना हो कीजिये, लेकिन पहले आपलोग मेरी बात को तो सुनिये। महोदय, जिस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या 94 प्रतिशत है। अभी महोदय, आपने देखा होगा कि गैर सरकारी संकल्प के समय में सड़क, पुल बनाने की बात मा0सदस्यों के द्वारा की जा रही थी, सरकार के द्वारा जवाब हो रहा था कि पैसा नहीं है, पैसा का रोना सरकार रो रही थी। इसलिए इस स्थिति में इतनी जल्दबाजी में इस विधेयक को प्रस्तुत करना, हम समझते हैं कि बिहार की जनता के लिए उचित नहीं है, बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं है। इसलिए महोदय, जनप्रतिनिधि के नाते मेरा फर्ज होता है कि इसपर जनता की राय ली जाय। महोदय, औरों की स्थिति क्या है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में यह कहना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि, अपने की जनता के बीच का नहीं मानता है, मैं समझता हूँ कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है।

क्रमशः:

(151)

टर्न-62/31.3.01/सिन्हा ।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह ‡ क्रमशः ‡: इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे ‡ मंत्री ‡: महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको, विधान सभा की सुख-सुविधा समिति, सभी राजनीतिक दल के नेताओं, माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, और अपने नेता लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोगों का संपूर्ण रूप से इस विधेयक को पुनर्गठित करने में सहयोग मिला है ।

महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में यह पहला विधेयक आ रहा है । सभी लोगों का समर्थन मिला है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि माननीय सदस्य अपने संसदीय कार्य को मर्यादित ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से संपादन करेंगे । बिहार पहला राज्य था जहां स्थल अध्ययन यात्रा होता था । इस विधेयक के माध्यम से स्थल अध्ययन यात्रा को व्यवस्थित किया गया है और स्थल अध्ययन यात्रा को टी.ए. का पार्ट नहीं बनाया गया है । यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के माननीय सदस्यों का जो वेतन है, जो भत्ता है, उससे कम और उसी के इक्विवैलेंट है यह । इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि माननीय सदस्यों की सामाजिक जवाबदेही बढ़ी है । विभिन्न समितियों और विधान मंडल के जो समिति हैं, उन समितियों में माननीय सदस्य अब क्रियाशीलता से, मर्यादित ढंग से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और विकास की जो योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं को नियंत्रित करेंगे । इन्हीं सारे उद्देश्यों से इस विधेयक को सदन के समक्ष लाया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आर्थिक लाभ से नहीं लाया गया है । जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से आते हैं, उसकी भी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है । सारे विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को लाया गया है । अखबारों द्वारा जो जो भ्रांति फैलायी गयी थी कि माननीय सदस्य अपनी सुख-सुविधा बढ़ायी जा रही है, वह बिल्कुल गलत बात है । आज राज्य का जो उत्पर व्यय है, वह बचेगा । पहले माननीय सदस्य दूर पर जाते थे और अस्त-व्यस्त रहते थे, वे सारी चीजें व्यवस्थित की गयी हैं और इस अल्प बढ़ोत्तरी के बाद भी राज्य के पूरे खर्च में कमी होगी । इसलिए यह कोई गवर्नमेंट स्पोंसर्ड नहीं है यह आप तमाम माननीय सदस्यों की राय, सदन की राय से

टर्न-69/31.3.01/सिन्हा ।

लाया गया है । माननीय सदस्य निर्भिक रूप से अपने संसदीय कार्य का सही ढंग से करें, इसलिए इस विधेयक को लाया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : महोदय, प्रस्ताव वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है ।

॥ व्यवधान ॥

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपलोग शांत रहिये । उनको लेजीस्लेटिव फंक्शन करने दीजिये ।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : इतनी जल्दीबाजी में यह विधेयक लाया गया है ...।

अध्यक्ष: आप बैठिये ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

" इस विधेयक को 31 अगस्त 2001 तक जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

" बिहार विधान मंडल ॥ सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन ॥संशोधन॥ विधेयक, 2001 पर विचार हो ।"

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडश: लेता हूँ । खंड 2,3,4,5,6, एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

" खंड 2,3,4,5,6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2,3,4,5,6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष – प्रश्न यह है –

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड – 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष – प्रश्न यह है –

" कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष – प्रश्न यह है –

"नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री रामचन्द्र पूर्वे (संसदीय कार्य मंत्री) – अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

" कि बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष – सदन की राय हो तो सभा की बैठक 6.30 बजे अप0 तक के लिए बढ़ा दी जाये ।

श्री भोला प्र0 सिंह – अध्यक्ष महोदय, सभा की बैठक पहले ही 6.00 बजे अप0 तक बढ़ा दी गई है । अगर 6.00 बजे अप0 के बाद भी आवश्यकता होगी तो बढ़ाया जाये ।

अध्यक्ष – सदन की राय हो तो सभा की बैठक 6.30 बजे अप0 तक के लिए बढ़ा दी जाये ।

सदस्यगण – सहमति है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव – अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के नेताओं को और सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि चूंकि माननीय श्री आधार प्र0 सिंह जी ने सवाल उठाया है, इसलिए मैंने इस पर

बोलना ... पसंद किया । महोदय, 1 करोड़ 40 लाख के करीब वित्तीय भार राज्य पर पड़ेगा इस विधेयक के आने से । लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सिर्फ 22-23 लाख रुपया वर्तमान विधायकों पर वृद्धि होगी। लेकिन करोड़ों रुपया सरकार का बचेगा । माननीय सदस्यों का जो संसदीय कार्य है, विधायकों का समय इतना ज्यादा बच जायेगा कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा वे समुचित रूप से कर पायेंगे। राज्य के अंदर चार बार और राज्य के बाहर दो बार वर्ष में समितियां जाती थी और अब केवल राज्य के अंदर दस-दस दिनों का दो बार कर दिया गया है और पहले माननीय सदस्य समिति की स्थल अध्ययन यात्रा में हर दूसरे महीने राज्य के अंदर और वर्ष में दो बार राज्य के बाहर यात्रा पर जाया करते थे। इस विधेयक के आने से एक साल में दो बार राज्य के अंदर ... दस-दस दिनों के लिए निकलना पड़ेगा और राज्य के बाहर एक बार 15 दिनों के लिए निकलना पड़ेगा । इससे ... माननीय सदस्यों का काफी समय का बचत हुआ व समितियाँ जाती थी, इतनी संख्या में जाया करती थी कि यात्रा की संख्या अधिक होने के कारण सरकारी पदाधिकारियों को मोनिटरिंग के लिए बुलाया जाता था, सरकार का पेट्रोल और डीजल पर भी काफी खर्च होता था, इससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हुआ करेगी। इसका आकलन विधान-मंडल नहीं करती थी, लेकिन सरकारी ... कोष से राशि जाती थी, साथ ही, मोनिटरिंग के लिए जो पदाधिकारियों समितियों के साथ सहयोगार्थ जाते थे, वे भी रात्रि विश्राम करते थे, ठहरने का भत्ता लिया करते थे, पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण आम जनता को परेशानी होती थी अफसरों का समय जाया होता था। जो अधिक राशि की बात है, हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि जो हमारे साथी रहे हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व किया है, जो भूतपूर्व विधायक है, या जो गरीब-गुरबा आये हैं, उन्हें राजस्व की वृद्धि होती है तो हमें निश्चित रूप से हमें अपने

साथियों के साथ संवेदना [illegible] होनी चाहिए। जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो गरीब-गुरबा के बीच से आये हैं, खास करके हरिजन, पिछड़े वर्गों से गरीब घरों से आये हैं उनके साथ हमें संवेदना होनी चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीति करते हैं, वे पब्लिक सरवेंट है, जनता के बीच उठना-बैठना पड़ता है हमें उनके बीच खड़ा होना पड़ता है। -क्रमश:-

टर्न-71/मधुप/31.3.2001

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : (क्रमश:) - इसीलिये स्वाभाविक रूप से यह भत्ता और टी०ए० नहीं है । यह हमारे कार्य करने की क्षमता को जनता के बीच में ले जाने के लिए जो हमलोगों की सहुलियतें, वर्किंग फैसिलिटी होनी चाहिये, काम करने का जो साधन होना चाहिये और ईमानदारी के साथ लोग काम कर सकें इसलिये यह बढ़ोत्तरी की गयी है । इसलिये यह संदेश और संशय लोगों को नहीं होना चाहिये कि राज्य बँट गया और राज्य गरीब होगया और हमलोगों का तनख्वाह और भत्ता बढ़ गया, यह बात नहीं है । महोदय, सिर्फ 22 लाख का इजाफा इससे होगा । इसलिये किसी को इसमें कोई संदेह और संशय नहीं रहना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य के पहलुओं पर अपना विचार रखा ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के करीब 179 सदस्य हैं और करीब 62 सदस्य उस सदन के हैं । 241 सदस्यों पर मात्र 24,81,336 रूपये की अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा । महोदय, यह बात सही है कि जब कोई राजनीति में आ जाता है तो जीवन पर्यन्त राजनीति में रहता है, जनसेवा में रहता है । महोदय, 744 पेन्शनर हैं और 177 पारिवारिक पेन्शन वाले लोग हैं यानि सब मिलाकर कुल इसमें 924 हैं । जो हमारे पूर्व विधायक हैं, पहले जो उनका इनिशियल न्यूनतम था, उसको 1,500 से 2,000 किया गया है अनुवर्ती वर्ष के लिये 150 के स्थान पर 200 किया गया है ।

इसतरह से महोदय, कुल वृद्धि 1,40,54,436 रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा । पूर्व विधायकों के लिए जो वृद्धि होगी उससे इसमें से 1 करोड़ 15 लाख 73 हजार की अतिरिक्त वृद्धि होगी जो इतनी बड़ी जवाबदेही और पुराने सदस्यों के लिहाज से कोई ज्यादा नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001 स्वीकृत हो।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2001 स्वीकृत हुआ।

बिहार विधान-मंडल (नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"बिहार विधान-मंडल (नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार विधान-मंडल (नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव।